46

न्यायालय श्री मान, राजस्व मंण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश ,

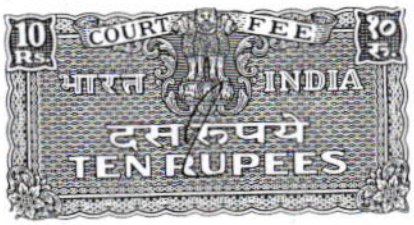

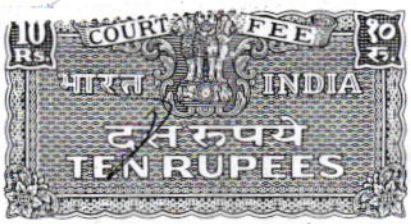




C. FPS 20/-

ददन सिंह आ0 श्री स्वरूप सिंह निवासी ग्राम चकहट तह0 उचेहरा जिला

आवेदक

सतना म0 प्र0, -------

बनाम

श्री मती कलावती उर्फ बाहू पुत्री श्री रामरूप सिंह उम्र निवासी चकहट हाल

मुकाम तह0 उचेहरा जिला सतना म0 प्र0, ---- अनावेदक

केस 185-II/09

एस0 के0 अवस्थी एडवोकेट
द्वारा आज दि0 12-2-09 को प्रस्तुत।
12-2-09
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

पुर्नबिलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम {1}

जा0 दीवानी ।

आवेदन पत्र बावत पुर्नबिलोकित किये जाने आदेश

दिनांक 3.11.84 पारित द्वारा न्यायालय श्री मान,

राजस्व मंण्डल म0 प्र0 ग्वालियर प्र0 क्र0 1081-दो-08

मान्यवर,

आवेदक द्वारा मुख्त्यार आँम निम्न लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर

बिनयी है ।

{1} यह कि आवेदक ने नायब तहसीलदार वृत अटरा तह0 उचेहरा जिला सतना म0 प्र0 के न्यायालय में राजस्व प्र0 क्र0 9/अ6/2005-06 अनावेदक के विरूद्ध प्रस्तुत किया था, जिस पर नायब तहसीलदार वृत अटरा द्वारा दिनांक 13.1.06 को यह स्पष्ट आदेश पारित किया था, कि कुल किता 9 कुल रकवा 5.840 हे0, भूमि के भूमि स्वामी स्वंयबर सिंह थें, स्वम्बर सिंह के दो पुत्र स्वरूप सिंह और रामरूप सिंह थें, तथा स्वरूप सिंह का पुत्र आवेदक है, और

मोहनलाल त्रिपाठी
एडवोकेट

/2/

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

### अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण कमांक रिव्यु 185–दो/09** **जिला** –सतना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 20.7.16 | आवेदक की ओर से श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया।<br>2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1081–दो/2007 में पारित आदेश दिनांक 03.11.08 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 185–दो/09 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये ।<br>3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1081–दो/07 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 03.11.08 से किया जा चुका है।<br>4–रिव्यु प्र0क0 185–दो/09 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:– | |

**अ–नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।**

**ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।**

**स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।**

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नही पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य